N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0004 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/01/2026 15:41 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** गुरूवार **Date From (दिनांक से):** 28/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 28/08/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:20 बजे **Time To (समय तक):** 17:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/01/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/01/2026 15:41:29 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 04 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** KALIMORI ITI COLLEGE ROAD SE AAGE BABU KABADI KI, DUKAAN SE PAHLE CHAI KI DUKAAN

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** JAGAN KUMAR
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHUDAR RAM
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1980 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VIJAY MANDIR ROAD, SHIKARI BAS ALWAR, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VIJAY MANDIR ROAD, SHIKARI BAS ALWAR, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANJAY KUMAR SHARMA		पिता:JAIRAM SHARMA	1. D-12,HEERABAS STEAM POWER HOUSE KE PASS,KALIMORI,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु मैं))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 28.08.2025 को वक्त करीब 9.15 ए.एम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर के समक्ष ब्यूरों कार्यालय अलवर में परिवादी श्री जगन कुमार पुत्र श्री भूदर राम निवासी विजय मंदिर रोड शिकारी बास अलवर व परिवादी का दोस्त श्री मोहसिन खान ने उपस्थित होकर एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिसका मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी के दोस्त श्री मोहसिन खान को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री जगन कुमार ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मेरे पिताजी द्वारा खारबास विजय मन्दिर रोड अलवर पर ईकरारनामे से क्रयशुदा प्लाट पर मैं करीब 20-25 वर्षो से कबाडी का कार्य कर रहा हूं। दिनांक 26.06.2025 को नगर निगम अलवर द्वारा मुझे नोटिस देकर उक्त कबाड के भंडारण को हटाने के लिए लिखा गया। इसके बाद मुझे दिनांक 15.07.2025 को दुबारा नोटिस दिया गया जिसका जवाब नगर परिषद अलवर में मेरे द्वारा दिनांक 01.08.2025 को दिये जाने के बाद भी आयुक्त नगर निगम अलवर द्वारा दिनांक 28.07.2025 को उक्त प्लाट पर दिनांक 04.08.2025 को 11 बजे मेरे प्लाट में रखे कबाड को हटाने की कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिये गये तथा नगर निगम के कर्मचारी दिनांक 04.08.2025 को कबाड हटाने नहीं आये और इस दिन नगर निगम अलवर में पदस्थापित श्री संजय होमगार्ड मेरे पास आया और मुझसे कबाड नहीं हटाने की एवजं में 01 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की और मुझसे कहा कि मैं नगर निगम से ये आदेश निरस्त करवा दुंगा तो मैनें उसको कहा 01 लाख रूपये ज्यादा है मेरे को कुछ समय दो मैं पैसे की व्यवस्था कर के आपसे मिल लुंगा। मेरे पास 01 लाख रूपये की व्यवस्था नहीं होने से मैने संजय को उस समय 01 लाख रूपये नहीं दिये इसके बाद दिनांक 25.08.2025 को नगर निगम अलवर के अतिक्रमण की प्रभारी श्री निशा लखानी व श्रीमती सुलेखा व बाबू रितिक चौधरी को साथ में लेकर संजय होमगार्ड जेसीबी, ट्रॉली, ट्रेक्टरों के साथ मेरे प्लॉट पर आये और मेरे कबाड के सामान में से करीब 15 से 20 ट्रॉली ट्रेक्टरों में भरकर ले गये और संजय ने मुझसे कहा कि एक दो दिन में हमे 01 लाख रूपये नहीं देगा तो अगले शुक्रवार तक तेरा सारा सामान उठाकर ले जाने की धमकी देकर गया। मैं, अतिक्रमण निरोधक प्रभारी श्रीमती निशा लखानी व शाखा प्रभारी रितिक एवं होमगार्ड कानि. संजय को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मैं हमारे प्लॉट के इकरारनामे, नगर निगम अलवर से जारी नोटिस/आदेश व आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको पेश कर रहा हूं। मेरे साथ मेरे दोस्त श्री मोहसिन खान एडवोकेट साथ में आये है। श्री मोहसिन खान उक्त प्लॉट के संबंध में नगर निगम व श्री दिनेष गुप्ता तथा मेरे मध्य चल रहे दावे में मेरे वकील है, जो उक्त कार्यवाही में मेरे साथ रहेगें आवष्यक कानूनी कार्यवाही करें। तत्पष्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सामने परिवादी श्री जगन कुमार के मोबाईल पर रिंग आई जिसे परिवादी ने देखकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि साहब आरोपी संजय होमगार्ड का फोन मेरे फोन पर आ रहा है। इस पर परिवादी को आरोपी से स्पीकर ऑन कर वार्ता करने के लिए कहा गया तो परिवादी नें अपने मोबाईन नं0 से आरोपी श्री संजय होमगार्ड के मोबाईल नं0 पर स्पीकर ऑन कर वार्ता की तो आरोपी श्री संजय होमगार्ड द्वारा परिवादी को कहा की मुझे ऑफिस जाना है, आप जल्दी आ जाओ मैं कालीमोरी स्थित बाबू कबाडी की दुकान पर मिलुंगा। इस पर वक्त करीब 11.00 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी से श्री भीम सिंह कानि से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर परिवादी श्री जगन कुमार को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी व परिवादी के दोस्त के समक्ष श्री भीम सिंह कानि0 को जरिये फर्द सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री संजय होमगार्ड के पास जाकर, आपके पिताजी द्वारा खारबास विजय मन्दिर रोड अलवर पर ईकरारनामे से क्रयशुदा प्लाट में रखे कबाड के भण्डारण को पुनः हटाने की कार्यवाही नहीं करने व नगर निगम अलवर द्वारा जारी किये गये आदेश को निरस्त करवाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा उक्त से हुई वार्ताओं को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें, साथ ही श्री भीम सिंह कानि को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देष कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री संजय होमगार्ड के पास भेजे तथा परिवादी के साथ

आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ताओं को सुनने का प्रयास करे। परिवादी व परिवादी के दोस्त व कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये परिवादी द्वारा लाई गई मोटरसाईकिल व भीम सिंह कानि. को उसकी मोटरसाईकिल से साथ में रवाना किया गया। तत्पष्चात वक्त करीब 12.20 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री भीम सिंह कानि 192 मय परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी का दोस्त मोहसिन ब्यूरों कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये और श्री भीम सिंह कानि0 ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। तत्पष्चात परिवादी श्री जगन कुमार ने बताया कि आज मैं व मेरा दोस्त मोहसिन खान व आपके कार्यालय के कर्मचारी श्री भीमसिंह कानि0 ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर से अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से साथ रवाना होकर कालीमोरी ब्रिज के पास पहूंच कर मोटरसाईकिल को रोककर साईड में खडी करने के बाद विभागीय टेप रिकॉर्डर श्री भीम सिंह कानि. द्वारा चालू कर मुझे सुपुर्द किया इसके बाद मैं व मेरा दोस्त मोहसिन खान मोटरसाईकिल से आरोपी संजय होमगार्ड से मोबाईल पर हुई वार्तानुसार आरोपी द्वारा आईटीआई कॉलेज रोड से आगे बाबू कबाडी की दुकान के पास मिलने की कही थी, के लिए रवाना हुये साथ ही हमारे पीछे पीछे श्री भीम सिंह कानि. भी अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हो गया था। आईटीआई कॉलेज रोड से आगे बाबू कबाडी की दुकान की लाईन में एक दो दुकान पहले स्थित चाय की दुकान पर श्री संजय होमगार्ड बैठे हुये मिले। जिससे मैने व मेरे दोस्त मोहसिन खान ने मेरे पिताजी के प्लाट में पडे कबाड के भंडारण को पुनः नहीं हटाने के संबंध में वार्ता कि तो संजय होमगार्ड ने कहा पहले जितने बताये उसमें काम नहीं होगा। अब सबके मुंह बडे हो गये है। अपनी बात हुई है उसके डबल मान के चल इस पर मैनें कहा दो लाख रूपये तो आरोपी संजय होमगार्ड ने कहां हां इस पर आरोपी संजय होमगार्ड ने कहा पत्ता तेरा इधर से उधर नहीं हिलेगा रितिक मेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिला सकता इस पर मैनें कहा दो लाख मे से कुछ तो कम कर इस पर आरोपी संजय बोला ज्यादा डिले मत कर इस पर मैने कहा दो की व्यवस्था बिठाऊ इस पर आरोपी संजय ने कहा काम ना हो तो मुंह पर थूक देना आदि बात हुई। संजय होमगार्ड नगर निगम अलवर ने मेरे पिताजी के प्लाट पर नगर परिषद अलवर के अधिकारी/कर्मचारीयो के द्वारा प्लाट पर पडे कबाड भण्डारण को नहीं हटाने के नाम पर उनके व स्वयं व अन्य के लिए दो लाख रूपये रिश्वत की मांग की है। उक्त सारी बाते मैने आपके विभाग के टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद मैं व मेरा दोस्त मोहसिन खान, संजय शर्मा होमगार्ड से बात करके वहा से रवाना होकर कलक्टर के बंगले के पास आकर रूके। हमारे पीछे पीछे श्री भीम सिंह कानि. अपनी मोटरसाईकिल से आ गया। जो हम पर नजर रख रखा था। इसके बाद श्री भीम सिंह कानि. ने मुझसे विभागीय टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद हम वहा से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय अलवर आये। इस मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित श्री भीम सिंह कानि. व परिवादी के दोस्त श्री मोहसिन खान से पूछने पर श्री भीम सिंह कानि. व श्री मोहसिन खान ने भी परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद की। तत्पष्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री भीम सिंह कानि. द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डरशुदा वार्ताओं के प्रस्तुत डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी श्री संजय होमगार्ड द्वारा परिवादी श्री जगन कुमार के पिताजी के प्लाट में पडे कबाड के भंडारण को पुनः नहीं हटाने के संबंध में वार्ता कि तो संजय होमगार्ड ने कहा पहले जितने बताये उसमें काम नहीं होगा। अब सबके मुंह बडे हो गये है। अपनी बात हुई है उसके डबल मान के चल इस पर परिवादी ने कहा दो लाख रूपये तो आरोपी संजय होमगार्ड ने कहां हां इस पर आरोपी संजय होमगार्ड ने कहा पत्ता तेरा इधर से उधर नहीं हिलेगा रितिक मेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिला सकता इस पर परिवादी ने कहा दो लाख से कुछ तो कम कर इस पर आरोपी संजय बोला ज्यादा डिले मत कर इस पर परिवादी ने कहा दो व्यवस्था बिठाऊ फिर आरोपी संजय ने कहा काम ना हो तो मुंह पर थूक देना आदि बात कहना पाया गया रिकोंड वार्ता अनुसार आरोपी द्वारा पूर्ण रूप से रिश्वत मांगने की वार्ता स्पष्ट रिकॉर्ड होना पाई गई। इसके बाद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मय एसडी कार्ड को बंद कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पष्चात वक्त करीब 1.15 पी.एम पर श्री भास्कर हैड कानि के हमराह खनिज विभाग अलवर से दो कर्मचारी उपस्थित एसीबी कार्यालय आये, उपस्थित कार्मिकों से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री उदय सिंह मीना हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय खनि. अभियंता अलवर व दूसरे ने अपना श्री रिजवान खांन हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक खांन एवं भूविज्ञान विभाग अलवर होना बताया जिन्हे कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री जगन कुमार व उसके दोस्त मोहसिन खान का परिचय उपरोक्त दोनों गवाहान से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री जगन कुमार द्वारा आज दिनांक 28.08.2025 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री जगन कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पष्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री संजय होमगार्ड द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशी के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया। तत्पष्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी का दोस्त श्री मोहसिन खान उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी श्री

जगन कुमार ने बताया आरोपी श्री संजय होमगार्ड द्वारा मांगी गई रिश्वत राशी 02 लाख रूपये ले आया हूं। जिसमें 50 हजार रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा व शेष 1.50 लाख रूपये (01 लाख 50 हजार रूपये) डमी करेंसी है। 1.50 लाख रूपये (01 लाख 50 हजार रूपये) डमी करेंसी नोट मार्केट से लेकर आया हूं। इस समय दोनों गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री जगन को उसके दौस्त श्री मोहसिन खान के समक्ष सिंंदग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नोट कुल राशी 50000/- रूपये व 500 रूपये दिखने वाले " भारतीय मनोरंजन बैक" के डमी करेन्सी नोटो की 500-500 के नोटो की दो गड्डियां (जिसमे 500-500 रूपये के 300 नोट) रूपये निकालकर पेश किये। इस प्रकार उक्त रिश्वत राशी कुल 2 लाख रूपये (पचास हजार रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं डेढ लाख रूपये डमी करेन्सी) पेश किये, उपरोक्त नोटो की फर्द पेशकशी तैयार करवाकर उपरोक्त पेश शुदा नोटो का मिलान फर्द पेशकशी दोनो गवाहान से करवाया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त 500 रूपये जैसे दिखने वाली डमी करेन्सी (जिसमे 500-500 रूपये के 300 नोट) राशी डेढ लाख रूपये (01 लाख 50 हजार रूपये) है, उक्त सभी डमी नोटो पर" भारतीय मनोरंजन बैक लिखा हुआ है तथा 500 रूपये के सभी डमी नोटो पर FULL OF FUN लिखा हुआ है, नम्बर अंकित नही है। उपरोक्त रिश्वत राशी मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अनुसार संदिग्ध आरोपी को दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नोटो एवं डमी करेंसी के 500-500 रूपये के 300 नोट पर पृथक पृथक फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री कपिल सोमवंषी कनिष्ठ सहायक को कार्यालय कक्ष मे बुलाया जाकर कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीषी निकलवाई जाकर कपिल सोमवंषी कनिष्ठ सहायक से एक साफ अखबार कार्यालय की टेबिल पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकालकर सभी नोटो पर भलिभांति लगवाया गया, तत्पष्चात परिवादी श्री जगन की जामा तलाशी गवाह श्री रिजवान खांन से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। इसके बाद कपिल सोमवंषी कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये डमी करेन्सी के 500-500 रूपये 300 नोटो की चार गड्डियो के उपर नीचे भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नोटो को रखकर एवं उक्त चारो गडडियो पर रबड बैण्ड लगाकर कुल 2 लाख रूपये की चारो गड्डियो को परिवादी के पास मौजुद सफेद थैली पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगावार कर उक्त थैली को एक बडी थैली के अन्दर रखवाकर परिवादी को सुपुर्द किये गये, तथा परिवादी व उसके दोस्त परिवादी के दोस्त मोहसिन के समक्ष समझाईस की गई की अब वह इन पाऊड युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त थैली से रिश्वत राशी निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मोबाईल फोन से मिसकॉल/मैसेज कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईषारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेनदेन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेप पाटी सदस्यों को भी आवष्यक हिदायत दी गई। इसके बाद कपिल सोमवंषी कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जला कर नष्ट करवाया। उसके पश्चात एक नये प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में श्री भास्कर हैड कानि0 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में कपिल सोमवंषी कनिष्ठ सहायक की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री जगन सपरिवादी श्री मोहसिन खांन व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को अपने हाथां से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात कपिल सोमवंषी कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, सपरिवादी मोहसिन खांन गवाहान एवं टैंरपपार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैंनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा टैंरप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा टैंरप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पष्चात परिवादी को रिश्वत राशी लेन देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरों के विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय दिनांक 28.08.2025 को हुई रिश्वत माँग सत्यापन की रिकॉर्ड षुदा वार्तालाप के माईक्रो एस.डी. कार्ड Sandisk 32 GB सहित परिवादी की पहने हुये पायजामें की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया गया। श्री भीम सिंह कानि. को आवष्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादी को रिश्वत राशी सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों का विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालूकर के ही रवाना करे। उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द तैयार की गई। तत्पष्चात वक्त करीब 6.10 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों गवाहान, परिवादी श्री जगन व परिवादी के दोस्त श्री मोहसिन खान के समक्ष परिवादी श्री जगन के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री संजय होमगार्ड के मोबाईल नम्बर पर दो बार

फोन करवाया गया। लेकिन आरोपी ने परिवादी का फोन रिसीव नहीं किया। समय करीब 7.37 पीएम पर पुनः फोन करवाया तो आरोपी संजय होमगार्ड ने परिवादी श्री जगन कुमार का फोन उठा लिया। परिवादी के फोन का स्पीकर ऑन करवाकर परिवादी ने मिलने के लिए कहा तो आरोपी ने स्पष्ट रूप से नही बताया कि कहा व कब मिलना है। उपरोक्त परिवादी से होने वाली मोबाईल वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए ब्यूरों के विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय दिनांक 28.08.2025 को हुई रिश्वत माँग सत्यापन की रिकॉर्ड षुदा वार्तालाप के माईक्रो एस.डी. कार्ड Sandisk 32 GB सहित परिवादी की पहने हुये पायजामें की दाहिनी साईड की जेब से निकलवाकर श्री भीम सिंह कानि. द्वारा रिकॉर्डर को चालू करवाकर रिकॉर्ड की गई। ब्यूरों के विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय दिनांक 28.08.2025 को हुई रिश्वत माँग सत्यापन व मोबाईल वार्ता की रिकॉर्ड षुदा वार्तालाप के माईक्रो एस.डी. कार्ड Sandisk 32 GB सहित कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पष्चता वक्त करीब 7.45 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों गवाहान, परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी के दोस्त श्री मोहसिन खान के समक्ष परिवादी के पास मौजूद रिष्वती राशी 02 लाख रूपये जिसे सफेद थैली पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगावार कर उक्त थैली को एक बडी थैली के अन्दर रखवाकर परिवादी को सुपुर्द किये गये थे, को परिवादी से बडी थैली सहित रिष्वती राशी 02 लाख रूपये को श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को दिलवाकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाये गये। तत्पष्चात वक्त करीब 8.00 पी.एम पर दोनों गवाहान श्री उदय सिंह वरिष्ठ सहायक व श्री रिजवान खान कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी के दोस्त श्री मोहसिन खान को दिनांक 29.08.2025 को प्रातः 08०:30 पीएम पर एसीबी कार्यालय अलवर में उपस्थित होने बाबत पाबन्द कर गोपनियता की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखस्त किया गया। तत्पष्चात दिनांक 29.08.2025 को वक्त करीब 8.35 ए.एम पर पाबन्दषुदा परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी के दोस्त श्री मोहसिन खान, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री उदय सिंह वरिष्ठ सहायक व श्री रिजवान खान कनिष्ठ सहायक, एसीबी कार्यालय अलवर में उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पष्चात वक्त करीब 8.40 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी के दोस्त श्री मोहसिन खान के समक्ष आरोपी श्री संजय होमगार्ड को दी जाने वाली रिष्वती राशी 02 लाख रूपये जो दिनांक 28.08.2025 को कार्यालय की आलमारी में रखवाये गये थे। जिन्हे श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 द्वारा कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर बडी थैली सहित रिष्वती राशी 02 लाख रूपये को परिवादी को सुपुर्द किये गये, तथा परिवादी व उसके दोस्त मोहसिन के समक्ष पुनः समझाईस की गई की अब वह इन पाऊड युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त थैली से रिश्वत राशी निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मोबाईल फोन से मिसकॉल/मैसेज कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईषारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेनदेन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेप पाटी सदस्यों को भी आवष्यक हिदायत दी गई।तत्पश्चात श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, सपरिवादी मोहसिन खांन गवाहान एवं टै्रपपार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा टै्रप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा टै्रप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पष्चात परिवादी को रिश्वत राशी लेन देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरों के विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय दिनांक 28.08.2025 को हुई रिश्वत माँग सत्यापन व मोबाईल वार्ता की रिकॉर्ड षुदा वार्तालाप के माईक्रो एस.डी. कार्ड Sandisk 32 GB सहित कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर परिवादी की पहने हुये पायजामें की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया गया। श्री भीम सिंह कानि. को आवष्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादी को रिश्वत राशी सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों का विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालूकर के ही रवाना करे। तत्पष्चता वक्त करीब 9.45 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री उदय सिंह वरिष्ठ सहायक व ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, रामजीत सिंह कानि. 206 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के साथ लेकर प्राईवेट वाहन के व दो प्राईवेट मोटरसाईकिल से एक मोटरसाईकिल पर भास्कर हैड कानि0 59, श्री भगवान सिंह कानि. व दुसरी मोटरसाईकिल से भीम सिंह कानि. व सुण्डाराम हैड कानि0 02 एवं परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी को दोस्त श्री मोहसिन खान परिवादी की लाई हुई स्कूटी से परिवादी के साथ एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब बाबू कबाडी की दुकान कालीमोरी अलवर के लिये रवाना हुआ तथा श्री कपिल सोमवंषी कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही छोडा गया। तत्पष्चता मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी व परिवादी के दोस्त एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कालीमोरी ऑवरब्रिज के पास पहुंचे, जहां पर वाहनों को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर परिवादी को कार के अन्दर बैठाकर डिजिटल टेपरिकॉर्ड श्री भीमसिंह कानि. से चालू करवाकर सुपुर्द कर परिवादी को मूनासिब हिदायत कर

उसके कार्य के लिए संदिग्ध आरोपी श्री संजय होमगार्ड के कहे अनुसार परिवादी व उसके दोस्त मोहसिन खान के साथ बाबू कबाडी की दुकान के लिए रवाना किया तथा परिवादी के दोस्त मोहसिन खान को परिवादी की स्कूटी से रवाना कर समस्त ट्रेप पार्टी उनके पीछे-पीछे अपने-अपने साथ लाये वाहनो से रवाना हुये। परिवादी व परिवादी के दोस्त मोहसिन खान आईटीआई कॉलेज से कुछ दूरी आगे से बिना स्कूटी से उतरे हुये ही पीछे पीछे चलने का ईषारा करते हुये नेहरू गार्डन अलवर के पास आकर रूके। वाहनों को सडक के खाली वाली जगह में साईड में खडा किया गया। परिवादी व परिवादी के दोस्त को गाडी के अन्दर बैठाकर परिवादी से सरकारी टेपरिकॉर्डर को प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने अवगत कराया की हम आईटीआई कॉलेज के पास पहूचें थे तभी आरोपी संजय होमगार्ड मोटरसाईकिल से जाता हुआ दिखा। इसलिए हमनें आपको पीछे पीछे आने का ईषारा किया था। संजय होमगार्ड इस समय अपनी ड्यूटी पर नगर निगम अलवर में जाता है। वह इस समय वहीं गया होगा। हम घण्टाघर अलवर के पास से संजय होमगार्ड को फोन कर लेंगे शायद वह वहां रिश्वत के पैसे लेने आ जाए। अतः पुनः सरकारी टेपरिकॉर्डर को चालू करके परिवादी के पहने हुये पायजामें की दाहिने जेब में रखकर परिवादी व उसके दोस्त मोहसिन खान को स्कूटी से व ट्रेप पार्टी अपने अपने वाहनो से बाद हिदायत बजानिब घण्टाघर अलवर के लिए रवाना हुये।परिवादी व उसका दोस्त घण्टाघर से कुछ दूरी पर स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर के पास वाली दुकान पर खडे हो गये व आरोपी के आने के इंतजार में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर उक्त स्थान के आस पास खडे होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईषारे का इन्तजार करने लगे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को समय करीब 01.06 पीएम पर परिवादी के दोस्त मोहसिन खान ने वाटसकॉल कर बताया कि आरोपी संजय होमगार्ड के मोबाईल नं0 से मेरे मोबाईल नम्बर पर वाटसएप कॉल आया है और उसने कहा है कि आप कोतवाली थाने के सामने राजू साईकिल वाले की दुकान है उस पर राजू को आप पैसे दे देना, मैं भी वही आ रहा हूं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के दोस्त को कहा आप उसको पैसे जब देना जब आरोपी संजय होमगार्ड वहा दिखे जिससे हम आपका निर्धारित ईषारा मिलते ही राजू व आरोपी को डिटेन कर सके।तत्पष्चात परिवादी व परिवादी को दोस्त कोतवाली थाने के सामने साईकिल की दुकान पर पहूंचे उनके पीछे पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी अपना अपना छुपाव करते हुये उक्त स्थान के आसपास पहूंचे जहां आरोपी थाने के सामने से घण्टाघर की तरफ जाता हुआ दिखा जिस पर नजर रखी गई। परिवादी व परिवादी का दोस्त कोतवाली थाने के सामने साईकिल की दुकान पर एक व्यक्ति से बात कर रहे थे तथा वह व्यक्ति बात करते हुये मोटरसाईकिल लेकर रवाना हो गया। परिवादी व परिवादी को दोस्त कोतवाली थाने के सामने साईकिल की दुकान से बिना ईषारा किये हुये ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आये। परिवादी ने रिकॉर्डर अपने पास से निकाल चालू हालत में मुझे दिया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि आरोपी संजय होमगार्ड का मेरे दोस्त मोहसिन खान के मोबाईल नं0 पर संजय होमगार्ड के मोबाईल नम्बर से वाटसएप कॉल आया है और कहा है कि आप कोतवाली थाने के सामने राजू साईकिल वाले की दुकान है उस पर राजू को आप पैसे दे देना, मैं भी वही आ रहा हूं। जिस पर मोहसिन खान ने आपको कॉल कर बता दिया था। हम कोतवाली थाने के सामने साईकिल कि दुकान पर पहूंचे तभी हमे कोतवाली थाने के सामने से आरोपी होमगार्ड घण्टाघर की तरफ जाता दिखा। साईकिल की दुकान पर उपस्थित राजू से पूछा की राजू आप ही हो क्या उन्होने कहा मैं राजू नहीं हूं और फोन पर वार्ता करते हुये मोटरसाईकिल स्टार्ट कर वहां से चला गया। जिस पर मेरे दोस्त मोहसिन खान ने आरोपी संजय होमगार्ड को फोन किया तो उसने फोन रिसिव नहीं किया तत्पष्चात काफी अधिक समय बीत जाने पर भी कई बार आरोपी को फोन करने पर भी उसके द्वारा फोन रिसीव नहीं करने तथा उसने नहीं आने पर हम बिना ईषारे किये ही आपके पास आ गये। उपरोक्त तथ्यो के संबंध में परिवादी के दोस्त से पूछा तो उन्होनें उपरोक्त तथ्यों की ताईद की। समय करीब 01.45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी को दोस्त श्री मोहसिन खान साथ लेकर गये वाहनो से घण्टाघर मार्केट अलवर से रवाना होकर एसीबी कार्यालय अलवर पहूंचे। ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान को गाडी से उतरवाकर कार्यालय में रखवाया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों गवाहान, परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी के दोस्त श्री मोहसिन खान के समक्ष परिवादी के पास मौजुद रिष्वती राशी 02 लाख रूपये जिसे सफेद थैली पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगावार कर उक्त थैली को एक बडी थैली के अन्दर रखवाकर परिवादी को सुपुर्द किये गये थे, को परिवादी से बडी थैली सहित रिष्वती राशी 02 लाख रूपये को श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को दिलवाकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाये गये। तत्पष्चात दिनांक 29.09.2025 को वक्त करीब 12.05 पी.एम पर परिवादी परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी का दोस्त श्री मोहसिन खान उपस्थित कार्यालय आये और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि संजय होमगार्ड का मेरे दोस्त मोहसिन के पास फोन आया था तथा आरोपी ने उससे कहा कि मुझे तुझ पर शक हो गया है। मै तुमसे किसी तरह की कोई बात नहीं करूंगा। अतः अब आरोपी होमगार्ड को हमारे ऊपर शक हो गया है। जिससे अब संजय होमगार्ड मेरे से रिश्वत की राशी नहीं लेगा "मैं जगन कुमार पुत्र भूदरराम निवासी शिकारी बास विजय मन्दिर रोड अलवर मैने 28/08/2025 को मेरे द्वारा नगर निगम के अतिक्रमण शाखा के अधिकारी व संजय शर्मा (होमगार्ड) के खिलाफ मेरे प्लाट पर पडे कबाड को नहीं हटाने के लिये 1 लाख रूपये की रिश्वत की मांगने की रिपोर्ट की थी।

उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 28/08/2025 को सत्यापन की कार्यवाही करवाने पर 2 लाख रूपये की रिश्वत मांगी गयी थी। जिस पर आपके द्वारा कार्यवाही की गई थी। परन्तू उस दिन आरोपी को ट्रेप नहीं किया जा सका वर्तमान में मेरे प्लाट पर नगर निगम अलवर के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से तथा आरोपी को हमपर ट्रेप कार्यवाही का शक होने से मैं आगे की कार्यवाही नहीं करवाना चाहता हूं। मेरे द्वारा आपको सुपुर्द की गयी 50,000/-पचास हजार रूपये की राशी व डेढ लाख रूपये के डमी नोट लौटाने का श्रम करें। मैं संजय शर्मा (होमगार्ड) के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता हूं। तत्पष्चात वक्त करीब 1.20 पी.एम पर गवाह श्री उदय सिंह मीणा, वरिष्ठ सहायक एवं श्री रिजवान खान, कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी के दोस्त श्री मोहसिन खान के समक्ष परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी के दोस्त श्री मोहसिन खान एवं संदिग्ध आरोपी श्री संजय होमगार्ड, नगर निगम अलवर के मध्य दिनांक 28.08.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय रूबरू वार्ता व मोबाईल वार्ता एवं दिनांक 29.08.2025 को रिश्वत लेनदेन वार्ता/मोबाईल वार्ता के रिकार्डशुदा एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड के रिकॉर्डिंग फाईल व वॉईस फोल्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखा था। कार्यालय की आलमारी मे मेरी निगरानी व निर्देशन में रखवाये गये राजकीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले हुये एसडी मैमोरी कार्ड सहित को आज दिनांक 26.09.2025 को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया व ट्रांसक्रिप्ट बनवाई गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री जगन कुमार ने अपनी स्वयं व अपने दोस्त मोहसिन खान संदिग्ध आरोपी श्री संजय होमगार्ड नगर निगम अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री जगन कुमार ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के रिकॉर्डिंग फाईल के फोल्डर 01 व वॉईस फोल्डर के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री जगन कुमार व परिवादी के दोस्त श्री मोहसिन खान के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क A1 A2को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव के साथ पृथक-पृथक एक सफेद कागज चिट जिस पर सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A1 A2अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी व परिवादी के दोस्त श्री मोहसिन खान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A3 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त एसडी मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.08.2025 व मोबाईल वार्ता एवं दिनांक 29.08.2025 को रिश्वत लेनदेन वार्ता/मोबाईल वार्ता रिकॉर्ड है को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली प्लास्टिक डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डमोहर कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा उक्त कार्यवाही में सिल्डशुदा आर्टीकल एसडी कार्ड मार्क S व सिल्डशुदा पेन ड्राईव मार्क A1 A2 को मालखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। तत्पष्चात दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा पूर्व में सुपुर्द की गई ट्रेप राशी 50,000/-पचास हजार रूपये व डेढ लाख रूपये के डमी नोट परिवादी श्री जगन कुमार को सुपुर्द की गई। उपरोक्तानुसार परिवादी श्री जगन कुमार पुत्र श्री भूदर राम निवासी विजय मंदिर रोड शिकारी बास अलवर की लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.08.2025 व दिनांक 29.08.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन परिवादी के दोस्त श्री मोहसिन खान को जरिये वाट्सएप कॉल कर रिष्वती राशी दुकानदार को देने की कहना एवं की गई समस्त कार्यवाही से श्री संजय होमगार्ड, नगर निगम अलवर द्वारा लोक सेवक होते हुये भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर स्वयं के लिये तथा नगर निगम अलवर के अतिक्रमण की प्रभारी श्री निशा लखानी व बाबू रितिक चौधरी के लिए परिवादी श्री जगन कुमार के पिताजी द्वारा खारबास विजय मन्दिर रोड अलवर पर ईकरारनामे से क्रयशुदा प्लाट पर कबाड के भंडारण को नहीं हटाने व आयुक्त नगर निगम अलवर द्वारा दिनांक 28.07.2025 से प्लाट में रखे कबाड/कबाड के भंडारण को हटाने के आदेश निरस्त करवाने की एबज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 28.08.2025 को 2,00,000/-रूपये रिश्वत राशी की मांग करना, श्री संजय होमगार्ड, नगर निगम अलवर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संधोधित संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया बनना बखूबी पाया गया है।अतः श्री संजय होमगार्ड, नगर निगम अलवर व अन्य के विरूद्ध उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।(परमेश्वर लाल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो, अलवर..............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री जयराम शर्मा, उम्र 36 साल जाति बह्लामण निवासी डी-12 हीराबास स्टीम पावर हाउस के पास कालीमोरी अलवर हाल होमगार्ड सदस्य संख्या 242 गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 26 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 18-21 दिनांक 02-01-2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2-कमाण्डेन्ट, गृह रक्षा प्रक्षिक्षण केन्द्र, अलवर एवं उच्चतम स्तर के अधिकारी (निदेशालय गृह रक्षा राज.जयपुर) 3- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused Investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]1/2026 1[illegible]9

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)